# FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद जिला कोटा

बृजबिहारी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा इजराय

मुकदमा नम्बर सन् ............................/ 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.03.2025 | इजराय प्रार्थना पत्र, प्रार्थी बृजबिहारी की ओर जरिये अधिवक्ता गिरीराज प्रसाद मीणा द्वारा प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारित निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दीगोद को पत्र जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार में दिनांक 15.04.2025 को पेश हो। | |
| 15/4/25 | पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ने राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ..........31/07/25.......... को पेश हो। | |
| 31/7/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई शेष कार्यवाही नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। | |

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दिनांक 22.12.2024, दीगोद जिला कोटा (राज0

| मि0नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 292 / 2024 | 07.08.2024 | 22.12.2024 |

बनाम

1- बृजबिहारी आत्मज रामनारायण जी [illegible] मीणा निवासी पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास [illegible] अशोगपुरी कोटा जिला कोटा

( वादी)

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम पीपल्दा समेल पटवार हल्का नीमोदा उजाड भूअभि0क्षेत्र झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 178 की रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 671 / 540 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 674 / 561 की 0.31 हेक्टर, कुल तीन किता की 3.98 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व [illegible] में वादी के पिता का [illegible] दर्ज था उनकी मृत्यु के बाद फोती इंतकाल तस्दीक [illegible] पर वादी का नाम बृजमोहन [illegible] किया जब कि वादी का नाम बृजबिहारी है। [illegible] त्रुटि सहवन से हुई है।

3– यह कि ग्राम भूडेन तहसील दीगोद [illegible] खसरा नम्बर 182 की [illegible] वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादी का नाम बृजबिहारी सही रूप से दर्ज हो रहा है।

4– यह कि वादी का नाम बृजबिहारी है वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड व पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र , मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम बृजबिहारी अंकित है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बृजमोहन दर्ज कर रखा है जो गलत है। इस कारण वादी को खाद बीज व ऋण लेने में परेशानी हो रही है।

5– यह कि उपरोक्त कारण से उक्त भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम [illegible] के स्थान पर बृजबिहारी दर्ज किया जाकर [illegible] दुरूस्त किया जाना आवश्यक [illegible] सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से [illegible] किया तथा अन्त में दिनांक [illegible] को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण [illegible] वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

कि ग्राम पीपल्दा समेल पटवार हल्का नीमोदा उजाड भूअभि0क्षेत्र झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 178 की रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 671 / 540 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 674 / 561 की 0.31 हेक्टर, कुल तीन किता की 3.98

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बृजमोहन पुत्र रामनारायण के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र रामनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। वादी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:-

1- नकल जमाबन्दी सवंत् 2076-2079 ग्राम पीपल्दा समेल खाता संख्या 75
2- नकल जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम भुडेन खाता संख्या 31
3- नकल छाया प्रति परिवार कार्ड
4- नकल छाया प्रति पेन कार्ड
5- नकल छाया प्रति जन आधार कार्ड
6- नकल छाया प्रति पहिचान पत्र
7- नकल छाया प्रति आधार कार्ड बृजबिहारी
8- नकल छाया प्रति मूल निवासी प्रमाण पत्र
9- नकल छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:-

1- तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार में बृजमोहन पुत्र रामनारायण व बृजबिहारी पुत्र रामनारायण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रकट किया है जवाब सरकार में राजस्व रिकार्ड में बृजमोहन पुत्र रामनारायण के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र रामनारायण दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में स्वंय बृजबिहारी का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है। पत्रावली को बहस पर नियत किया जाकर पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु चिन्हित किया गया।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद उपस्थित है। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड, जवाब सरकार एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में संलग्न उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व जवाब सरकार के अवलोकन से वादी का नाम बृजमोहन पुत्र रामनारायण के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र रामनारायण दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा समेल पटवार हल्का नीमोदा उजाड भूअभि0क्षेत्र झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 178 की रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 671/540 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 674/561 की 0.31 हेक्टर, कुल तीन किता की 3.98 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बृजमोहन पुत्र रामनारायण के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र रामनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा
राष्ट्रीय लोकर अदालत केम्प दिनांक 22.12.2024, दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– बृजबिहारी आत्मज रामनारायण जी जाति मीणा निवासी पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास प्रेमनगर II उद्योगपुरी कोटा जिला कोटा

( वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम
मिसल नं 292 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कार्यवाई रूबरू बहाजिरी वादी व मिन मुददई पेष होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पीपल्दा समेल पटवार हल्का नीमोदा उजाड भूअभि0क्षेत्र झाडगांव तहसील दीगोद जिला **कोटा के खसरा नम्बर 178** की रकबा 2.72 हेक्टर, खसरा **नम्बर 671 / 540** की 0.95 **हेक्टर. खसरा नम्बर 674** / 561 की 0.31 हेक्टर, कुल तीन किता **की 3.98 हेक्टर भूमि** के **राजस्व रिकार्ड में वादी** का नाम बृजमोहन पुत्र रामनारायण के **स्थान पर बृजबिहारी** पुत्र **रामनारायण दर्ज किये** जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 22.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में **जारी किया** गया

| मिलान स्टाम्प **अर्जी दावा** | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदई | **रूपये** | पैसे | मुदलयह | रूप्ये | पैसे |
| **स्टाम्प वकालतनामा** | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| **स्टाम्प वजूह सबूत** | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| **महन्ताना वकील** | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कार्यवाहक सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)